भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

31.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1498 का उत्तर

एर्नाकुलम-शोरनूर तीसरा ट्रैक

1498. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे एर्नाकुलम-शोरनूर तीसरे ट्रैक और त्रिशूर-थिरुनवाया डबल ट्रैक की जांच कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे त्रिशूर और गुरुवायूर के बीच एकल ट्रैक को दोहरा करने या एक नया गुरुवायूर-थिरुनवाया डबल-ट्रैक कॉरिडोर शुरू करने पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन परियोजनाओं से मालाबार क्षेत्र की दूरी कम करने में मदद मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि गुरुवायूर-थिरुनवाया डबल ट्रैक कॉरिडोर के अंतिम स्थान के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है और रेलवे इस परियोजना में त्रिशूर-गुरुवायूर मार्ग के दूसरे ट्रैक को शामिल करने की योजना बना रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह सच है कि रेलवे एर्नाकुलम और शोरनूर के बीच तीसरा ट्रैक बिछाते समय एर्नाकुलम और शोरनूर के बीच चौथा ट्रैक बनाने के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र का निर्धारण करने की भी योजना बना रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

एर्नाकुलम-शोरनूर तीसरा ट्रैक के संबंध में दिनांक 31.07.2024 को लोक सभा में श्री वी. के. श्रीकंदन के अतारांकित प्रश्न सं. 1498 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना के अंतर्गत एकीकृत योजना, बढ़ी हुई लॉजिस्टिक क्षमता और जनता, माल और सेवाओं के निर्बाध आवाजाही को दूर करने, पर्यटक और सांस्कृतिक स्थानों सहित औद्योगिक समूहों, पत्तनों, खदानों, बिजली संयंत्रों, कृषि क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना के विकास के लिए नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू किए जाते हैं।

रेल अवसंरचना परियोजनाओं को लाभप्रदता, अंतिम छोर तक संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों की वृद्धि, सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोणों, पर्यटक और सांस्कृतिक स्थानों की संपर्कता में वृद्धि आदि के आधार पर शुरू किया जाता है जो चालू परियोजनाओं की देनदारियों, धन की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों पर निर्भर करता है।

एर्णाकुलम और शोरनूर (104 किमी) के मध्य तीसरी लाइन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण को चौथी लाइन के लिए भी संरचना और भूमि अधिग्रहण पर विचारार्थ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए स्वीकृत किया गया है।

गुरूवायूर और तिरून्नावाया के बीच 35 कि.मी. लंबाई की नई लाइन परियोजना का कार्य, जिसे 1995-96 में स्वीकृत किया गया था, परंतु संरेखण के विरुद्ध जनता के विरोध और राज्य सरकार से कोई सहयोग न मिलने के कारण शुरू नहीं किया जा सका। इसके अलावा, मौजूदा रेल लाइनों का दोहरीकरण प्रचालनात्मक और वाणिज्यिक आवश्यकताओं, तकनीकी

आर्थिक व्यवहार्यता, भू-भाग, अनिवार्य स्थलों, सामाजिक आर्थिक कारकों आदि के आधार पर किया जाता है।

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी क्लीयरेंस, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भू-गर्भीय और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष के दौरान कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं के समापन समय को प्रभावित करते हैं। उपर्युक्त अवरोध के बावजूद भी परियोजना(परियोजनाओं) को तेजी से निष्पादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2014 से, केरल राज्य में निधि आबंटन और परियोजनाओं की तदनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो निम्नानुसार है:-

अवधि	औसत परिव्यय	वर्ष 2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	372 करोड़ रु. प्रति वर्ष	-
2023-24	2,033 करोड़ रु.	5 गुना से अधिक
2024-25	3,011 करोड़ रु.	8 गुना से अधिक

यद्यपि निधि आबंटन में कई गुना वृद्धि हुई है, परन्तु परियोजना के निष्पादन की गति शीघ्र भूमि अधिग्रहण पर निर्भर है। रेलवे, राज्य सरकार के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करती है। राज्य सरकार मुआवजे की राशि का आकलन करती है और रेलवे को सूचित करती है। राज्य सरकार से मांग प्राप्त होने पर, रेलवे संबंधित जिला भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के

पास मुआवजे की राशि जमा करती है। केरल राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है और लगभग 459.54 हेक्टेयर भूमि की कुल आवश्यकता में से केवल लगभग 62.83 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। रेलवे ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रयास शुरू किए थे, परन्तु परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सफल नहीं हो सकी, हालांकि रेलवे ने भूमि अधिग्रहण के लिए केरल सरकार को 2125.61 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए केरल सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।

*****